निदेशालय
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धोवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।
ईऽमेलः dir.icds.ua@g mail.com

पत्रांकः 6-1323 / आ0बा0चयन–7411–2 / 2026–27 दिनांकः 25 जून, 2026

विज्ञप्ति

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या–262231 / XVII(4) / 2024-31(2)/2005-TC (22078) दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 एवं शासनादेश सं0–1451 / XVII(4) / 2024-31(2)/2005-TC (e-22078) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के प्राविधानानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, के अन्तर्गत राज्य में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में मानदेय सेवा (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मानदेय रू0 9300.00 प्रतिमाह / आंगनबाड़ी सहायिका, मानदेय रू0 5250.00 प्रतिमाह) के रिक्त पदों पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://wecduk.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

01. ऑनलाइन पंजीकरण एंव आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि– 30 / 06 / 2026 को प्रातः 12 बजे से
02. ऑनलाइन आवदेन जमा करने की अन्तिम तिथि– 29 / 07 / 2026 को सायं 5:00 बजे तक

चयन से सम्बन्धित अर्हतायें एवं शर्ते आदि से सम्बंधित शासनादेश एवं आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय वेबसाइट https://wecduk.in पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निर्देशों एवं शासनादेशों का भली भाँति अवलोकन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र जमा करें।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देशः–

1. उक्तानुसार विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किया जायेगा।
2. रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालयों, जिला कार्यक्रम कार्यालयों, खण्ड विकास कार्यालयों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में चस्पा की गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जोकि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के पश्चात् ही अवलोक्य उपलब्ध होगी।
3. **न्यूनतम शैक्षिक अर्हताः–** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / परिषद / संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्त्तीर्ण की गयी हो।
4. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी / मूल निवासी महिलायें ही आवेदन हेतु अर्ह होंगी। एक आवेदनकर्ता किसी एक ही राजस्व ग्राम / वार्ड में विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकता है। किन्तु यदि किसी एक राजस्व ग्राम / वार्ड में एक से अधिक पद विज्ञापित हैं तो, सम्बन्धित राजस्व ग्राम / वार्ड के समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पृथक–पृथक आवेदन किया जा सकता है।
5. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम विभागीय वेबसाइट (https://wecduk.in) से ही प्राप्त किये जायेंगे तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् नवीन आवेदन अथवा अपलोड किये गये आवेदनों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

6. आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाईट (https://wecduk.in) पर अपना पंजीकरण करना होगा जिसकी विस्तृत निर्देशिका पोर्टल पर उपलब्ध है।
7. अधोहस्ताक्षरी/चयन समिति/अपीलीय समिति को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि नियुक्ति से पूर्व, किसी त्रुटि के संज्ञान में आने अथवा अन्य किसी उचित कारणवश, विज्ञापित पद पर चयन प्रक्रिया को निरस्त संशोधित/पुनर्विज्ञापित किया जा सकेगा।
8. आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे(जो शासनादेश के अनुसार लागू हों):–
   1. क़क्षा–10 एवं कक्षा–12 की अंकतालिका (अनिवार्य)
   2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंकतालिका (यदि उत्तीर्ण हो)
   3. स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)
   4. परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र हेतु अनिवार्य)
   5. वोटर आई0डी0कार्ड अथवा राशन कार्ड की प्रति (शहरी क्षेत्र हेतु अनिवार्य)
   6. आरक्षण श्रेणी का प्रमाण–पत्र (आरक्षित रिक्त पद हेतु अनिवार्य)
   7. वरीयता श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
9. आवदेन के अन्तर्गत गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर आवेदन निरस्त होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।
10. विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अतः समस्त आवेदनकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर पोर्टल विजिट(visit) किये जाने का सुझाव है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में सम्पर्क करें।

/
(बी0एल0राणा)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
4. सम्पादक अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड संस्करण में 16 से.मी X 25 से.मी आकार में डी.ए.वी.पी. दरों पर दिनांक 30 जून, 2026 के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो–दो प्रतियों में निदेशालय को प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

निदेशक
29/6/26